



HAMIRPUR POLICE



थाना बिवांर

दिनाँक 01/09/2021

पुलिस मुठभेड में 42 कि०ग्रा० अवैध गाँजा के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, कारतूस व फर्जी नम्बर प्लेट लगी दो गाड़ी बरामद:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, **SOG** हमीरपुर व थाना बिवांर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 31.08.2021 को अवैध गाँजा तस्करी की सूचना पर त्वरित कार्यवाई करते हुए बिवांर-मौदहा मार्ग पर दो संदिग्ध चार पहिया गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया तभी गाड़ियों में बैठे 04 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे, पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर चारों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, अभियुक्तों से बरामद 02 चार पहिया गाड़ी एक अदद स्विफ्ट डिजायर व एक अदद स्कार्पियों की तलाशी ली गयी तो दोनो गाड़ियों से कुल 42 कि०ग्रा० अवैध गाँजा (21-21 कि०ग्रा० प्रत्येक से) व एक एन्ड्रायड मोबाइल (रीयल मी कम्पनी का) बरामद हुआ तथा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेट पर अंकित नम्बर को चेक किया गया तो स्कार्पियो पर ओमनी गाड़ी व स्विफ्ट डिजायर पर मोपेड का नम्बर अंकित था। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि पुलिस से बचने के लिये अपनी गाड़ियों की नम्बर प्लेट पर गलत नम्बर डाल रखे थे।

पुलिस मुठभेड में कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 1). मु०अ०सं० 200/2021 धारा 307/420/465 I.P.C बनाम किशन कश्यप आदि 04 नफर अभियुक्त, 2). मु०अ०सं० 201/2021 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम किशन कश्यप व प्रदीप कश्यप, 3). मु०अ०सं० 202/2021 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम जगदीश प्रसाद सैन व प्रदीप साहू, 4). मु०अ०सं० 202/2021 धारा 3/25 A ACT बनाम किशन कश्यप पंजीकृत कर जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1). किशन कश्यप पुत्र गणेश प्रसाद निवासी विशाल नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा,
- 2). प्रदीप कश्यप पुत्र गणेश प्रसाद निवासी विशाल नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा,
- 3). जगदीश प्रसाद सैन पुत्र बाबूलाल सैन निवासी समन नगर वार्ड नं० 13 थाना कोतवाली नगर, महोबा,
- 4). प्रदीप साहू पुत्र रामगोपाल साहू निवासी वडी हाट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

बरामदगी:-

- 1). कुल 42 कि०ग्रा० अवैध गाँजा (21-21 कि०ग्रा० दो गाड़ियों से),
- 2). एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर,
- 3). दो चार पहिया वाहन एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार व एक अदद स्कार्पियों,
- 4). एक अदद मोबाइल एन्ड्राइड रीयल मी कम्पनी रंग नीला,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक विनोद कुमार राय प्रभारी **SOG** टीम
2. उ०नि० दुर्ग विजय सिंह थानाध्यक्ष बिवांर
3. हे०का० रजत कुमार सिंह **SOG** टीम
4. हे०का० जितेन्द्र शुक्ल **SOG** टीम
5. का० राजदीप **SOG** टीम
6. का० कमलकान्त **SOG** टीम
7. का० प्रसून पाण्डेय थाना बिवांर
8. का० मो० मोबीन थाना बिवांर

